प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 36/2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल 2026 जारी किया

नई दिल्ली, 10 मार्च 2026 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल 2026 जारी किया है।

2. प्राधिकरण के साथ हुई विभिन्न वार्ताओं के दौरान, हितधारकों ने निम्नांकित आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला था:

i. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 (यथा संशोधित) में ऑडिट से संबंधित प्रावधानों और ऑडिट मैनुअल में सुधार,

ii. डीपीओ के बार-बार होने वाले ऑडिट को कम करना, जिसकी वजह से संसाधनों की बर्बादी, परिचालनात्मक व्यवधान और ऑडिट प्रक्रिया में हितधारकों के विश्वास में कमी आती है।

iii. ऑडिट फ्रेमवर्क में इंफ्रास्टक्चर साझाकरण से संबंधित प्रावधानों को शामिल करना, और

iv. ऑडिटरों की जबवाबदेही बढ़ाना और उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उनके अनुभव के आधार पर ऑडीटर्स को वर्गीकृत किया जाना।

3. ऑडिट प्रक्रिया की जवाबदेही और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए 26 अगस्त 2025 को भादूविप्रा द्वारा जारी ऑडिटरों को एम्पैनलमेंट करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) दस्तावेज में, तकनीकी दक्षता की आवश्यकताएं, ऑडिटरों के अनुभव के आधार पर उनका वर्गीकरण और उनकी जवाबदेही बढ़ाने के प्रावधानों को शामिल किया गया है।

4. इसके अलावा, ऑडिट फ्रेमवर्क से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए, भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियां मांगने के लिए 9 अगस्त 2024 को 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल)

सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 के ऑडिट संबंधी प्रावधानों और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से 64 टिप्पणियां और 03 प्रति टिप्पणियां प्राप्त हुईं, जिन्हें भादूविप्रा की वेबसाइट पर रखा गया था। 5 दिसंबर 2024 को एक ओपन हाउस चर्चा (OHD) आयोजित की गई थी।

5. इसके बाद, भादूविप्रा ने 5 फरवरी 2026 को 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (सातवां संशोधन) विनियम, 2026' को अधिसूचित किया था (जिसे आगे 'सातवां संशोधन विनियम' कहा जाएगा) ।

6. परामर्श पत्र पर हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों पर विधिवत विचार करने के बाद, 5 फरवरी 2026 को अधिसूचित किए गए सातवां संशोधन विनियम और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल 2026 को अंतिम रूप दिया है और यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ऑडिट मैनुअल ऑडिट प्रक्रिया के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज होगा और इसमें विस्तार से निर्देश दिए गए हैं। यह मैनुअल मौजूदा विनियमों के किसी भी प्रावधान का स्थान नहीं लेता है।

7. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल 2026, भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

8. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस), भादूविप्रा से ईमेल आईडी: advbcs-2@trai.gov.in अथवा टेलीफोन + 91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी
10/3/26

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा